

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक:ई-33/ले.टे./ (एफ-1329)/2016/
दिनांक :

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक: क्रमांक:ई-33/ले.टे./1329/2013/476 दिनांक 04.07.13 में क्रम संख्या-69 पर अंकित श्री वकील सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 में वर्णित प्रावधानानुसार विभाग में कार्यरत कर्मचारी जिन्होंने लैब टेक्नीशियन प्रशिक्षण प्राप्त किया है, को लैब टेक्नीशियन के पद पर अस्थाई/तदर्थ आधार पर पदोन्नति प्रदान की जाकर पदस्थापन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर के अधीन किया गया था, लेकिन निदेशालय स्तर पर विभागीय जांच लम्बित होने के कारण कार्यग्रहण नहीं कराया गया।

निदेशालय के आदेश क्रमांक:सी.बी./एन.एस/एफ-1506/2012/232 दिनांक 12.02.14 के द्वारा उक्त कार्मिक को विभागीय जांच में आरोप से दोष मुक्त कर दिया गया है, के फलस्वरूप श्री वकील सिंह को लैब टेक्नीशियन के पद पर पदोन्नति पर दिनांक 15.01.2017 तक कार्यग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

- 50 -
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज. जयपुर।

क्रमांक :- ई-33/ले.टे./ (1286)/2016/ 1594

दिनांक : 28.12.16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज., जयपुर।
4. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप- 3) विभाग, राज. जयपुर।
5. निदेशक, (जन स्वा./प.क.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन भरतपुर।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर। / प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोन भरतपुर।
8. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी। उम्मीद है कि वे आवश्यक कार्यवाही करेंगे।
9. आदेश/रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशास.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर